राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत, वे सिद्धांत हैं जो राज्य को निर्देशित करते हैं जब वह अपने लोगों के लिए नीतियां बनाता है अर्थात निर्देश + सिद्धांत + राज्य + नीति। ये राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत, राज्य के लिए एक दिशानिर्देश के रूप में कार्य करते हैं और किसी भी नए कानून के साथ आने पर इन पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है, लेकिन एक नागरिक राज्य को राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत, का पालन करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत, जिन्हें डीपीएसपी भी कहा जाता है, भारत के संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक वर्णित हैं।

राज्य के नीति निदेशक तत्व ऐतिहासिक पृष्ठभूमि | **Directive Principles of State Policy Historical Background**

भारत सरकार अधिनियम, 1935 में निहित निर्देशों के साधन को भारत के संविधान में वर्ष 1950 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में शामिल किया गया था। संविधान निर्माताओं ने इस विचार को 1937 के आयरिश संविधान से लिया था, जिससे स्पेन का संविधान भी प्रेरित था। इसके साथ ही भारत के संविधान के निदेशक तत्व सामाजिक नीति के निदेशक तत्वों से बहुत प्रभावित हुए हैं।

राज्य के नीति निदेशक तत्व की विशेषताएं | **Rajya Ke Niti Nirdeshak Tatva ki Visheshtayein**

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने राज्य के नीति निदेशक तत्वों को संविधान की नई और महत्वपूर्ण विशेषता बताया था। यहाँ तक कि मौलिक अधिकारों के साथ-साथ निर्देशक सिद्धांतों में संविधान का दर्शन और आत्मा शामिल है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्न हैं:

- इन्हें भारतीय संविधान के भाग-4 में अनुच्छेद (36-51) में उल्लेखित किया गया है।
- इन्हें संविधान की नयी विशिष्टता (Novel Features) भी कहा जाता है। ये आयरिश (Irish) संविधान द्वारा प्रेरित है।
- ये भारत सरकार अधिनियम, 1935 में उल्लिखित निर्देशों के साधनों के समान है।
- नीति निदेशक तत्व गैर-न्यायसंगत हैं लेकिन कानून की वैधता की जांच और निर्धारण में अदालतों की मदद करते हैं।
- राज्य के नीति निदेशक तत्व ऐसे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियां बनाते और कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए
- राज्य के नीति निदेशक तत्व आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्य हेतु समय राज्य की सहायता करता है। वे संविधान के प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के उच्च आदर्शों को साकार करने का लक्ष्य रखते हैं। वे 'कल्याणकारी राज्य' की अवधारणा का प्रतीक हैं।
- राज्य के नीति निदेशक तत्व राज्य को आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करने में मदद करता है।
- नीति निदेशक तत्व गैर-न्यायसंगत हैं लेकिन कानून की वैधता की जांच और निर्धारण में अदालतों की मदद करते हैं।

अन्य महत्वपूर्ण लेख

Maulik Adhikar | Right to Education in Hindi

Preamble to the Indian Constitution | Supreme Court of India in Hindi

Vishwa Vyapar Sangathan | IPC 498A

राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का वर्गीकरण, Classification of Directive Principles of State Policy

राज्य के नीति निदेशक तत्वों को हमारे संविधान के तहत औपचारिक रूप से वर्गीकृत नहीं किया गया है; हालांकि, बेहतर समझ के लिए और सामग्री और दिशा के आधार पर, उन्हें तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। निर्देशक सिद्धांतों के प्रावधानों को व्यापक रूप से वर्गीकृत किया जाता है-

- समाजवादी सिद्धांत
- गांधीवादी सिद्धांत
- उदार-बौद्धिक सिद्धांत

राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत के अनुच्छेद

- न्याय-सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक-द्वारा सामाजिक क्रमबद्धता हासिल करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और आय, आर्थिक स्थिति, सुविधाएं और अवसरों में असमानताओं को कम करना (अनुच्छेद 38) ।
- 'राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत' अग्रलिखित बिन्दुओ को सुरक्षित करता है: - (a) सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार; (b) आम वस्तुयों के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का न्यायसंगत वितरण; (c) धन और उत्पादन के साधनों के संकेंद्रण की रोकथाम; (d) पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन; (e) श्रमिकों और बच्चों की स्वास्थ्य और शक्ति के जबरन दुरुपयोग से सरंक्षण; और (f) बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर (अनुच्छेद 39) ।
- समान न्याय को बढ़ावा देने और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना (अनुच्छेद 39 ए) । यह 42 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा सविधान में जोड़ा गया था।
- कार्य करने और शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार का सरक्षण करना और बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी और विकलांगता के मामलों में सार्वजनिक सहायता के अधिकार का सरंक्षण (अनुच्छेद 41)
- कार्य स्थल का उचित माहौल और मातृत्व राहत के लिए उचित और मानवीय स्थितियों का प्रावधान करना (अनुच्छेद 42) ।
- उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए उचित कदम उठाना (अनुच्छेद 43 ए) । यह 42 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया।
- ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने और उन्हें सरकार की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम करने के लिए आवश्यक शक्तियां और अधिकार प्रदान करना (अनुच्छेद 40)

- ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहयोग के आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना (अनुच्छेद 43) ।
- नशीले पेयों और खाद्य पदार्थों जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं की खपत को प्रतिबंधित करना (अनुच्छेद 47) ।
- गायों, बछड़ों और अन्य दुग्धों के मारे जाने और मवेशी मवेशियों को मारने और उनकी नस्लों (अनुच्छेद 48) में सुधार करने के लिए।
- सभी नागरिकों के लिए पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना (अनुच्छेद 44)
- छह साल की उम्र पूरी होने तक सभी बच्चों की देखभाल और शिक्षा प्रदान करना (अनुच्छेद 45)। यह 86 वे संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित हैं।
- राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका से कार्यकारी को अलग करना (अनुच्छेद 50) ।
- अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना और राष्ट्रों के बीच उचित और सम्माननीय संबंध बनाए रखना; अंतरराष्ट्रीय कानून और संधि के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना और मध्यस्थता (अनुच्छेद 51) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटान को प्रोत्साहित करना।

राज्य के नीति के नए निदेशक सिद्धांत

संविधान के भाग-IV में 42वें संविधान संशोधन, 1976 द्वारा निम्नलिखित परिवर्तन किए गए:

- अनुच्छेद 39ए: गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना।
- अनुच्छेद 43A: उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी।
- अनुच्छेद 48A: पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना।

44वें संविधान संशोधन, 1978 ने धारा 2 को अनुच्छेद 38 में सम्मिलित किया जो घोषित करता है कि; "राज्य, विशेष रूप से, आय में आर्थिक असमानताओं को कम करने और व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि समूहों के बीच स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करेगा।"

2002 के 86वें संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया और प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 ए के तहत मौलिक अधिकार बना दिया। संशोधित निर्देशानुसार राज्य को सभी बच्चों की देखभाल करना और शिक्षा प्रदान आवश्यक होगा, जब तक कि वे छह साल की आयु पूरी नहीं करते है।

2011 के 97 वें संशोधन कानून ने सहकारी समितियों से संबंधित एक नया निर्देशक सिद्धांत जोड़ा है। इसके लिए राज्य को स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्य, लोकतांत्रिक नियंत्रण और सहकारी समितियों के पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है (अनुच्छेद 43 बी).

Related Articles:

- Paryavaran Sangrakshan Adhiniyam 1986
- Mukhya Chunav Ayukt
- Bharat Sarkar Adhiniyam 1935